



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 09.03.2023

1-थाना दनकौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में नामजद 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.03.2023 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 70/23 धारा 302/201 भा0द0वि0 में नामजद 02 अभियुक्त 1.सलमान उर्फ हडिया पुत्र हबीब निवासी गढी मौहल्ला, कस्बा व थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर 2.राशिद पुत्र नवाब निवासी गढी मौहल्ला कस्बा व थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 08/03/2023 को थाना दनकौर पर वादी ने थाना दनकौर पर सूचना अंकित करायी कि उसके चचेरे भाई मनीष शर्मा पुत्र अर्जुन शर्मा की सलमान उर्फ हडिया और राशिद ने मिल कर हत्या कर दी है, उसे सुनसान रास्ते से ले जाते हुये लोगों ने देखा, और पुलिस को सूचना दी, जिसके सम्बन्ध में थाना दनकौर पर मु0अ0सं0 70/23 धारा 302/201 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.सलमान उर्फ हडिया पुत्र हबीब निवासी गढी मौहल्ला, कस्बा व थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
- 2.राशिद पुत्र नवाब निवासी गढी मौहल्ला कस्बा व थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

अभियुक्त सलमान

- 1.मु0अ0सं0 13/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 19/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 20/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
- 4.मु0अ0सं0 237/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु0अ0सं0 70/23 धारा 302/201 भा0द0वि0 थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त राशिद

1.मु0अ0सं0 70/23 धारा 302/201 भा0द0वि0 थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 427/16 धारा 323/354(क)/498ए/506 भा0द0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

अभियुक्तों की निशादेही से शराब की बोतल, सिगरेट व सिगरेट के रेपर बरामद

2-थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.03.2023 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 163/2023 धारा 147/148/149/323/307/452 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त प्रिन्स बैसला पुत्र अजयपाल बैसला निवासी छोटी मिलक, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के इटेडा गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के द्वारा अपने 05 साथियों के साथ मिलकर पीड़ित विकास त्यागी को उनके प्रोपर्टी ऑफिस, त्यागी मार्किट में जाकर लाठी व डन्डो से मारपीट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त अतुल व अन्न उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त का विवरण:

प्रिन्स बैसला पुत्र अजयपाल बैसला निवासी छोटी मिलक, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

मु0अ0सं0 163/2023 धारा 147/148/149/323/307/452 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

3-थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा, घरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार होने का प्रयास कर रहे 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 जोड़ी झुमके पीली धातु व 01 जोड़ी टॉपस पीली धातु एवं 01 पिस्टल 9 मय दो खोखा कारतूस .9एमएम व 03 जिन्दा कारतूस व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

दिनांक 09.03.2023 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा, घरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार होने का प्रयास कर रहे 02 अभियुक्त 1.ताज मोहमद पुत्र इलियास निवासी समयपुर, मेरठ 2.नौशाद पुत्र इकराम निवासी बकरकाशाब, सिंकद्राबाद, बुलन्दशहर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना क्षेत्र के अम्बेडकर विहार, सेक्टर-37 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से थाना सेक्टर-39 के मु0अ0सं0 0167/2023 धारा 380/454/411 भादवि से सम्बन्धित चोरी के 03 जोड़ी झुमके पीली धातु व 01 जोड़ी टॉपस पीली धातु व 01 पिस्टल .9एमएम मय 02 खोखा कारतूस .9 एमएम व 03 जिन्दा कारतूस व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.ताज मोहमद पुत्र इलियास निवासी समयपुर, मेरठ।
- 2.नौशाद पुत्र इकराम निवासी बकरकाशाब, सिकद्राबाद, बुलन्दशहर।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1-मु0अ0सं0 167/2023 धारा 380/454/411/307 भादवि, 25/27 आयुध अधि0 थाना सेक्टर-39 नोएडा।
- 2-मु0अ0सं0 1287/2018 धारा 380/411/454/482 भादवि बनाम ताज मोहम्मद उपरोक्त थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
- 3-मु0अ0सं0 147/2015 धारा 25आयुध अधि0 बनाम नौशाद उपरोक्त थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद।
- 4-मु0अ0सं0 452/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर बनाम नौशाद उपरोक्त थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:

- 1.03 जोडी झुमके पीली धातु
- 2.01 जोडी टॉपस् पीली धातु
- 3.01 अवैध पिस्टल .9एमएम मय 02 खोखा कारतूस .9 एमएम व 03 जिन्दा कारतूस .9एमएम।
- 4.01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर